an>

Title: Need to impose dumping duty on import of synthetic yarn.

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी में पावरलूम का बहुत बड़ा कारोबार है। ईसवी सन् 1800 में हथकरघे से शुरू हुआ यह कारोबार आज लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, वस्त्र उद्योग मंत्री सम्मानीय स्मृति ईरानी जी जो काम कर रही हैं, करीब तीन महीने पहले वह हमारे संसदीय क्षेत्र में आई थीं। उन्होंने वहां पावरलूम की समस्याओं को समझा और दिल्ली आकर उन्होंने पावरलूम से संबंधित देश के सभी लोगों की यहां मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उन लोगों की समस्याओं को समझकर, उन्होंने पावरलूम की एक नई पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी को मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी में आकर लॉंच किया। इससे पावरलूम के व्यवसाय के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की ओर से, इस सदन के माध्यम से सम्मानीय नरेन्द्र मोदी जी एवं सम्मानीय स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह नीति बनाई है।

अब इससे पावरलूम का व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन हमारे देश में विदेशों से जो यार्न आता है, उसके ऊपर एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगती है और विदेशों से जो कपड़ा आता है, उस पर यह ड्यूटी नहीं लगती है। इससे हमारे यहां यार्न की खरीद महंगी हो जाती है और उससे यहां जो कपड़ा बनता है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमारा कपड़ा बाजार में महंगा बिकता है और विदेशों से आने वाला कपड़ा सस्ता बिकता है।

मैं आपके माध्यम से कॉमर्स मिनिस्ट्री से यह मांग करता हूं कि जो एंटी डम्पिंग ड्यूटी यार्न के ऊपर लगती है, उसे हटाकर अगर कपड़े के ऊपर लगाई जाए तो अपने यहां बनने वाला कपड़ा बाजार में सस्ता बिकेगा, जिससे लोग उसे खरीदेंगे और पावरलूम व्यवसाय के लिए अच्छे दिन आएंगे। मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री संजय काका पाटील एवं श्री अरविंद सावंत को श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।